UPMP040069912026

न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी./ 14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।

राज्य बनाम कमल ।

आदेश

अपराध संख्या–102/2026
अन्तर्गत धारा-305,331(4),317(2)BNS
थाना-एलाऊ, जिला- मैनपुरी

दिनांक- 06.04.2026

1. अभियुक्त कमल पुत्र रमेश सिंह बहेलिया एवं सुमित फूल सिंह बहेलिया की ओर से अपराध संख्या -102/2026 अन्तर्गत धारा-305,331(4),317(2)BNS थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं ।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी /अभियुक्त को उपरोक्त केस में पुलिस द्वारा झूठा एवं फर्जी फंसाया गया है । प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपराध अजमानतीय है । जमानत का विरोध है ।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 305,331(4),317(2)BNS अपराध संख्या-102/2026 थाना एलाऊ जिला मैनपुरी में प्रस्तुत किया गया है । प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर बकरी चोरी करने का आरोप है । अभियुक्त दिनांक- 03.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है । अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

6. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(आजम रहमानी)
सिविल जज (अवर वर्ग)एफ.टी.सी./
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।